संख्या-16-2025-डीएफए-1238167-38-7099-99-58-2022

प्रेषक,

जयनाथ यादव,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,

उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 लखनऊः दिनांकः 10-09-2025

विषयः -मनरेगा योजनान्तर्गत ग्रामीण हॉट के संचालन के संबंध में।

महोदय,

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत ग्रामीण हॉट निर्माण कार्य अनुमन्य गतिविधि है। वार्षिक मास्टर परिपत्र 2024-25 के अनुसार उल्लिखित कार्यों में से क्रमांक-46 में ग्रामीण अवस्थापना के अन्तर्गत अनुमन्य है। मास्टर सर्कुलर-2024-25 के प्रस्तर 7.7 के बिन्दु-बी में ग्रामीण हॉट सबंधी कार्य के संबंध में निम्न निर्देश दिये गये हैं-

Gramin (Rural) Haats: Construction/upgradation of Rural Haats infrastructure would help rural artisans and farmers connect to the market. Rural Haats may be constructed at the existing place of marketing in the villages or blocks where weekly/daily Haats already exist. The land for the proposed rural Haats must be owned by the Gram Panchayat/Government. The structure can be an open raised & covered platform with facilities like storage, drinking water, toilets, garbage pits, parking space etc. A model plan for the construction of new Haat is given in Samarthya Technical Manual. The Mahatma Gandhi NREGA officials may also co-ordinate with the State Rural Livelihoods Mission & Department of Agriculture Marketing officials to identify possible locations and involvement of SHGs/producers groups for development of the rural Haats.

2- उल्लेखनीय है कि सामर्थ्य मैनुअल के पैरा 6.5.1.3 के अनुसार ग्रामीण हॉट निर्माण में बनाये जाने वाली अवसंरचनाओं का स्पष्ट उल्लेख किया गया

http://snasandesh.up.gov.in

है। उक्त निर्देशों के क्रम में प्रदेश स्तर पर अब तक 474 ग्रामीण हॉट निर्माण संबंधी कार्य कराये भी गये हैं, किन्तु ग्रामीण हॉट निर्माण के उपरांत हॉट के संचालन के संबंध में स्पष्ट निर्देश न होने के दृष्टिगत परिसम्पत्ति सृजन के उपरांत संचालित होने में कठिनाई आती है। योजना के अन्तर्गत ग्रामीण हॉट के संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु खण्ड विकास अधिकारी, प्रधान एवं सचिव की संयुक्त समिति का गठन करते हुए निम्न निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है-

1. ग्रामीण हॉट हेतु स्थल चयन का कार्य खण्ड विकास अधिकारी, प्रधान एवं सचिव की संयुक्त समिति द्वारा किया जाएगा।
2. ग्राम के सबसे गरीब निवासी जो बाजार लगाने के इच्छुक हो, हॉट में दुकान का आक्टन किया जाएगा। स्वयं सहायता समूह को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।
3. ग्रामीण हॉट हेतु प्रतिमाह किराये का निर्धारण किया जाएगा, जिससे होने वाली आय ग्राम पंचायत के खाते में सरक्षित की जाएगी तथा उक्त धनराशि का उपयोग ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा। उका आय से ग्रामीण डॉट सरचना के रखरखाव एवं सुरक्षा का कार्य भी कराया जा सकता है।
4. आवंटी को इस परिसम्पत्ति को केवल उपयोग करने का अधिकार होगा। इसकी प्रकृति और संरचना में किसी बदलाव का अधिकार न होगा। किसी भी दशा में हॉट बाजार का सार्वजनिक स्वरूप प्रभावित नहीं किया जाएगा। इस परिसम्पत्ति पर ग्राम पंचायत के अलावा किसी भी का भी मालिकाना हक न होगा। ग्राम पंचायत भी इस सम्पत्ति को किसी को कभी भी विक्रय नहीं कर सकेगी। यह परिसम्पत्ति हमेशा के लिए ग्राम की सार्वजनिक संपत्ति रहेगी।
5. प्रत्येक वर्ष ग्राम सभा की बैठक के एजेण्डा में हॉट दुकानों के आवंटन एवं संचालन की समीक्षा की जाएगी।
6. यदि आवंटित दुकान के निर्णय से किसी को आपत्ति होती है। तो वह मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष शिकायत प्रस्तुत कर सकता है। जिसमें मुख्य विकास अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

http://shrasanadesh.up.gov.in

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मनरेगा योजनान्तर्गत ग्रामीण हॉट के संचालन के संबंध में उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

जयनाथ यादव
विशेष सचिव।

संख्या-16-2025-डीएफए-1238167-38-7099-99-58-2022तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषित -

1. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उ0प्र0।
5. समस्त परियोजना निदेशक/उपायुक्त, श्रम रोजगार, उ0प्र0।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

जयनाथ यादव
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in